सहित लाल साहू लवाड़ी

9/5 [illegible]

भोलाराम [illegible]

102/24 पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उभय पक्ष उप०। तहसीलदार नीम का थाना से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। वकुलाय उभय पक्ष ने विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने की सहमति दी। पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राथमिक डिक्री की अनु-पालना में पक्षकारान को सूचित कर कब्जा काश्त व बाई मीट्स बाउण्ड्स के आधार पर आपसी सहमति से तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है। जिस पर किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति भी नहीं है। अतः विभाजन प्रस्ताव दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी अन्तिम रूप से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी एंव प्रतिवादीगण को पृथक-पृथक काबिज

— लगातार —

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.02.27 14:23:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

| हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | हुकम की तामिल में जारी हुए |
| --- | --- |
| खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हों। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। | |

सहायक कलक्टर कोर्ट (F.T) नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
सहायक कलक्टर (F.T)
नीमकाथाना (सीकर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.27 14:23:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner